पत्र सं0– वि.प्रा. (IV) योजना – 8 / 2019

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत नवस्थापित 5 (पांच) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019–20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक/जरनल्स के क्रय के लिए प्रति संस्थान रू. 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) मात्र की दर से कुल रू. 40,00,000=00 (चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छात्र/छात्राओं के लिए ससमय A.I.C.T.E. के मापदण्ड के अनुसार आवश्यक उच्च गुणवत्ता की सामग्रियों की उपलब्धता, सभी संस्थानों के सामग्रियों में एकरूपता, सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन में समय एवं लागत की बचत, गत वर्षों की भांति बजट में प्रावधानित राशि अव्यवहृत न हो सके तथा राशि के पूर्ण रूपेण उपयोग किये जाने के उद्देश्य से विभागान्तर्गत नवस्थापित 5 (पांच) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/ भोजपुर/खगड़िया में पुस्तक/जरनल्स के क्रय हेतु विभागीय आदेश संख्या–2524, दिनांक 19.07.2019 द्वारा प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

2. राज्य सरकार ने प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 के पत्रांक–571, दिनांक 29.09.2019 के आलोक में उक्त पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019–20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक/जरनल्स के क्रय के लिए प्रति संस्थान रू. 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) मात्र की दर से कुल रू. 40,00,000=00 (चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0106– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203001050106 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 होंगे।

5. इस राशि की निकासी कोषागार, पटना से की जायेगी।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका पृ. 18/प. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 8/ 2019 – /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 8/ 2019 – /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 8/ 2019 – /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/ भोजपुर/खगड़िया को पुस्तकों एवं जरनल्स की सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 8/ 2019 – 3504 /पटना, दिनांक– 15/10/019
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.19
सरकार के उप सचिव